रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

(21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2012/पौष 6, 1934
No. 668] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012/PAUSA 6, 1934

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 937(अ).—एतद्द्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशक के कार्यालय [सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी)] का भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशक के कार्यालयों में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) भर्ती नियम, 2012 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :